

3

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF
THE CRIMINAL
CODE, 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 88 / 2018

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

1. विशनारायण सिसौदिया पुत्र भीकाराम उम्र 50 वर्ष

निवासी- ग्राम पिपरसाना थाना गोहद जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged
commission

यह कि आप घटना दिनांक 28.04.2018 के 14.00 बजे आम रोड के पास
कुआ, ग्राम खडेर गोहद में अपने आधिपत्य में 22 व्वाटर देशी शराब विधि विरुद्ध
तरीके से बिना किसी आज्ञा के अवैध रूप से संग्रह कर विक्रय के आशय से रखे
हुये पाये गये।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत
दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या
विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक-

उपरोक्त स्वीकार है

नि-क.
वि. न्यायालय

16/5/18

प्रतिष्ठा अवस्थी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d),
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of
section 260, the value of the property in respect of which the
offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 16.05.18 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थादण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उद्देश्यों से ही पूर्ति हो सकती है।
3. फलस्वरूप आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1600/- रुपये के अर्थादंड तथा अर्थादंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर बीस दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
4. प्रकरण में जप्तशुदा शराब नष्ट की जावे।
5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान—गोहद

दिनांक— 16/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

PA
16/5/18
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
प्रतिष्ठा अवस्थी गोहद
ज. एम. एस. सी. गोहद (म.प्र.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

PA
16/5/18
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
प्रतिष्ठा अवस्थी गोहद
ज. एम. एस. सी. गोहद (म.प्र.)